UPJS010069192025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन - **कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा)** (JO Code No- UP1881)

सत्र वाद संख्या- **1803/ 2025** (CNR No. - UPJS01- 006919- 2025)

उ०प्र० राज्य बनाम **चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र पाल आदि**

मु०अ०सं०- 33/ 2025

धारा- 85,80(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

एवं धारा- 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी।

दिनांक- 05. 02. 2026 **आदेश**

1. पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र पाल, पंखी उर्फ घनश्याम दास कुशवाहा एवं श्रीमती रामा देवी जेरे जमानत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित।

2. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को किस - किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते हैं तथा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्तगण ने प्रश्नगत घटना में वादी मुकदमा की पुत्री श्रीमती पूजा को अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी दहेज हत्या करने का अपराध कारित किया है।

जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्तगण को झूंठा फंसाये जाने व उनके द्वारा कोई अपराध कारित न किये जाने का कथन कर मामले में उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. मैंने अभियोजन कथानक एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस अभिमत की है कि मामले में ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है कि अभियुक्तगण चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र पाल, पंखी उर्फ घनश्याम दास कुशवाहा एवं श्रीमती रामा देवी ने धारा - 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा- 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित कर परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

5. अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देती हूं कि अभियुक्तगण चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र पाल, पंखी उर्फ घनश्याम दास कुशवाहा एवं श्रीमती रामा देवी के विरूद्ध धारा - 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा- 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

6. अभियुक्तगण के विरूद्ध पृथक रूप से आरोप विरिचत किया गया व अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

7. पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य **दिनांक- 25. 02. 2026** को पेश हो। साक्षी नियमानुसार तलब हों।

दिनाँक- 05. 02. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.02.05 16:47:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPJS010069192025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन - **कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा)** (JO Code No- UP1881)

सत्र वाद संख्या- **1803/ 2025** (CNR No. - UPJS01- 006919- 2025)

उ०प्र० राज्य बनाम **चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र पाल आदि**

मु०अ०सं०- 33/ 2025

धारा- 85,80(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

एवं धारा- 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं **कमलेश कच्छल**, सत्र न्यायाधीश, झाँसी आप अभियुक्तगण **चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र पाल , पंखी उर्फ घनश्याम दास कुशवाहा** एवं **श्रीमती रामा देवी** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करती हूँ-

1- यह कि दिनांक- 08. 02. 2018 को वादी मुकदमा बाबूलाल की पुत्री श्रीमती पूजा का विवाह अभियुक्त चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र पाल के साथ सम्पन्न होने के उपरान्त से घटना दिनांक - 30. 01. 2025 को शाम समय 06. 00 बजे से रात्रि 09. 00 बजे के मध्य, स्थान- वादी की पुत्री पूजा की ससुराल/ मकान अभियुक्तगण, ग्राम वीरा, अन्तर्गत थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आप अभियुक्तगण ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की। इस प्रकार आप लोगों यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 85** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

2- यह कि दिनांक- 08. 02. 2018 को वादी मुकदमा बाबूलाल की पुत्री श्रीमती पूजा का विवाह अभियुक्त चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र पाल के साथ सम्पन्न होने के उपरान्त आप अभियुक्तगण ने अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उसे उत्पीड़ित व प्रताड़ित किया और इसी प्रताड़ना के फलस्वरूप दिनांक - 30. 01. 2025 को शाम समय 06. 00 बजे से रात्रि 09. 00 बजे के मध्य, स्थान- वादी की पुत्री की ससुराल/ मकान अभियुक्तगण, ग्राम वीरा, अन्तर्गत थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में विवाह होने के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु (जहर से) हुई, जो दहेज हत्या की परिधि में है। इस प्रकार आप लोगों यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 80(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

3- यह कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसे उत्पीड़ित व प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **दहेज प्रतिषेध अधिनियम** की **धारा- 4** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को यह निर्देश देती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक- 05. 02. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्तगण उपस्थित है, आरोप उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनाँक- 05. 02. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।